न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, जनपद औरैया।

परिवाद संख्या–271/2024

CNR No. UPAU120011972024

कुलदीप गुप्ता बनाम ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह

अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट

थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–17.09.2024

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि विपक्षी ने प्रार्थी/परिवादी से इलैक्ट्रॉनिक्स व इलैक्ट्रीकल का सामान खरीदा था। जिसकी देनदारी के एवज में विपक्षी ने प्रार्थी को दिनांक 06.05.2024 को अपने एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा बिधूना के खाता संख्या 50200038654100 की चैक संख्या 000010 मुव0 1,50,000/–रुपये की प्रदान की। विपक्षी द्वारा दी गयी उक्त चैक को प्रार्थी ने कैनरा बैंक, शाखा बिधूना के खाता संख्या 84771400000879 में प्रस्तुत किया, जो दिनांक 10.05.2024 को बैंक द्वारा ''एकाउन्ट क्लोज्ड'' के नोट के साथ वापस कर दिया। परिवादी ने दिनांक 27.05.2024 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया, जिसमें नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर चैक में अंकित धनराशि प्रार्थी को हस्तगत कराने हेतु हिदायत दी गयी, जो नोटिस दिनांक 29.05.2024 को विपक्षी को प्राप्त हो गया, लेकिन पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी विपक्षी ने चैक में अंकित धनराशि प्रार्थी को प्रदान नहीं की। विपक्षी का यह कृत्य एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध की परिधि में आता है।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में स्वयं का शपथ पत्र, मूल चैक, चैक वापसी का ज्ञापन/मैमोरेण्डम, मूल रजिस्ट्री रसीद, रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 27.05.2024 दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को जरिये धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत शपथ पत्र के माध्यम से परीक्षित कराया गया, जिसमें उसने परिवाद कथानक का समर्थन किया है। परिवादी द्वारा विपक्षी द्वारा दी गयी चैक को बैंक में भुगतान हेतु लगाने के बाद बैंक द्वारा दिनांक 10.05.2024 को वापस कर दी गयी। परिवादी द्वारा विपक्षी को दिनांक 27.05.2024 को लीगल नोटिस भेजी गयी। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद समय सीमा के अन्तर्गत दिनांक 19.06.2024 को संस्थित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। तद्नुसार विपक्षी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह** को अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। परिवादी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 29.10.2024 को पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP 3441

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2024.09.18 11:52:23 IST
Reason: Order
Location: CJJD, outlying Court, Bidhuna